



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष: 0522-2720383, 384, 405, 137, 138, 139 फैक्स -0522-2720056



विप0-2/(उपविधि संशो0-142)/2017-798

दिनांक 09-12-2017

आदेश

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-17 एवं मण्डी नियमावली, 1965 के नियम-70 में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का कारोबार करने वालों को लाइसेन्स निर्गत किये जाने का प्राविधान है। मण्डी समितियों की उपविधि में लाइसेन्स निर्गत करने की प्रक्रिया तथा नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं। उपविधि 20(ग) एवं 20(घ) के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था में संशोधन तथा कुछ अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित कराया जाना आवश्यक है।

अतएव मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 39(2) के अधीन परिषद में निहित अधिकारों, जिनका प्रत्यायोजन उक्त अधिनियम की धारा 26-ज के अधीन निदेशक में किया गया है, का प्रयोग करते हुए मैं धीरज कुमार, निदेशक, उपविधि 20(ग) एवं 20(घ) के अन्तर्गत निम्नवत स्तम्भ-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 संशोधन करने, तथा अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित करने का आदेश देता हूँ, अर्थात् -

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 9 के अधीन लाइसेन्स के लिए प्रार्थना पत्र

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

प्रपत्र संख्या-20(ग)

प्रपत्र संख्या-20(ग)

सेवा में,

सभापति,
मण्डी समिति, _____

द्वारा

सचिव,
मण्डी समिति,

महोदय,

मेरे कारोबार का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- 1-प्रार्थी का नाम
- 2-पिता का नाम
- 3-पता
- 4-व्यक्तिगत कार्य जिसकी ओर से लाइसेन्स के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है।
- 5-कारोबार आरम्भ करने का स्थान व दिनांक तथा अधिकार में की हुई भू-गृहादि का विवरण।
- 6-फर्म की दशा में यह बताइये कि क्या वह निबद्ध है अथवा नहीं, यदि निबद्ध है तो निबन्धन के विवरण

S.O

नियम तथा उपविधि

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 9 के
अधीन लाइसेन्स के लिए
प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

सभापति,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
.....

द्वारा

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
.....

महोदय,

मैं मण्डी समिति के लाइसेन्स हेतु आवेदन करता हूँ। मेरे कारोबार का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

13 72-12

दीजिए।

7-फर्म के स्वामी/स्वामियों तथा प्रबन्धक के नाम

8-प्रयोजन जिसके लिए लाइसेन्स चाहिए

9-क्या व्यक्ति/फर्म मण्डी क्षेत्र या मण्डी स्थल में कारोबार अथवा काम करना चाहता है।

10-क्या उस व्यक्ति या फर्म को, जिसकी ओर से लाइसेंस चाहिए, उसी या किसी अन्य मण्डी समिति द्वारा किसी हैसियत से अकेले लाइसेंस दिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के साथ, यदि जारी किया गया है तो पूरा विवरण दीजिए।

11-क्या किसी मण्डी समिति द्वारा जारी किया गया कोई लाइसेंस पिछले पाँच वर्षों में निलम्बित या रद्द किया गया है यदि हाँ, तो ऐसे निलम्बन या रद्द करने के कारणों सहित पूरा विवरण दीजिए।

12-कृषि वर्ष जिसके लिए लाइसेंस अपेक्षित है।

13-मण्डी क्षेत्र/मण्डी स्थल में कार्य करने वाले कर्मचारियों का व्यौरा।

क्रम संख्या	कर्मचारी तथा उसके पिता का नाम	किस हैसियत से सेवायोजित है
1	2	3

14-भंडारों तथा अन्य भू-गृहादि के व्यौरे, विवरण, क्षमता तथा स्थिति।

15-रसीद की संख्या और दिनांक के विवरण के साथ जमा किये गये लाइसेंस शुल्क की धनराशि।

16-पूर्व लाइसेन्स की संख्या तथा दिनांक (नवीनीकरण की दशा में)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ठीक है। मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि मैं लाइसेन्स की शर्तों का, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 और एतदधीन बनायी गयी नियमावली तथा उप-विधियों के उपबन्धों का पालन करेगा।

मैं अपने कर्मचारियों के सभी कार्य, कृत तथा अकृत के लिये उत्तरदायी हूँगा और यदि उनमें कोई परिवर्तन हुआ तो उसकी सूचना, तुरन्त दूँगा।

प्रार्थना की जाती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1)(2) के अधीन एक लाइसेंस कृषि वर्ष के लिए

के पक्ष में जारी। नवीकृत कर दिया जाय।

स्थान

दिनांक

प्रार्थी के हस्ताक्षर

1. प्रार्थी का नाम
2. प्रार्थी के पिता का नाम
3. प्रार्थी स्थाई/डाक
4. प्रार्थी का मोबाइल नं०
5. प्रार्थी का ई-मेल आईडी
6. मण्डी समिति जिसके लिए लाइसेन्स चाहिए
7. लाइसेन्स अवधि
8. व्यावसायिक इकाई का प्रकार (जिसकी ओर से प्रार्थना-पत्र दिया गया है)
9. व्यावसायिक इकाई का नाम
10. व्यावसायिक इकाई का स्थायी पता
11. व्यावसायिक इकाई का स्थानीय पता
12. व्यावसायिक इकाई का पैन नं०
13. व्यावसायिक इकाई का GST नं० (यदि लागू होता है तो)
14. यदि व्यावसायिक इकाई प्रोपराइटर शिप है तो नामिनी का नाम
15. नामिनी का आधार नं०
16. फर्म या कम्पनी की दशा में व्यावसायिक इकाई निबद्ध है अथवा नहीं
17. यदि निबद्ध है तो निबन्धन नं०
18. यदि निर्यातक हैं तो-
आयात-निर्यात कोड सं० अपीडा रजि० सं०

19. प्रयोजन जिसके लिए लाइसेन्स चाहिये ?
(लाइसेन्स का प्रकार)

20. व्यावसायिक इकाई मण्डी समिति जिस क्षेत्र/स्थल में कारोबार अथवा काम करना चाहता है उसका विवरण

21. व्यावसायिक इकाई के स्वामियों/प्रबन्धकों के नाम
नाम हैसियत

22. भण्डारों तथा अन्य भू-गृहादि के व्यौरे, विवरण क्षमता तथा स्थिति
विवरण क्षमता स्थान

23. मण्डी समिति के दो गारण्टरों का शपथ-पत्र संलग्न/अपलोड करें।

24. जमा किये गये लाइसेन्स शुल्क का विवरण
माध्यम दिनांक ट्रान्जेक्शन सं०

25. बैंक खाता सं०, जिससे धनराशि हस्तांतरित की गयी

26. आई०एफ०एस०सी० कोड नं०

27. प्रतिभूति का विवरण-संख्या- तिथि- बैंक/डाकघर धनराशि (स्कैन कापी)

28. पूर्व लाइसेन्स की सं० तथा दिनांक (नवीनीकरण की दशा में)

29. लाइसेन्स प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर आन लाइन या स्पष्ट टंकित कागज पर दिये जा सकेंगे। आन लाइन आवेदन की स्थिति में आवेदन का प्रिन्ट हाई कापी में तथा जमानत धनराशि का बंधक कराया हुआ मूल प्रमाण पत्र (एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०) सम्बन्धित मण्डी समिति को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से भी दिया जाना होगा।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्य जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ठीक है। मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि मैं लाइसेन्स की शर्तों का उत्तर प्रदेश मण्डी अधिनियम, 1964 और एतदधीन बनाई गई नियमावली तथा उपविधियों के उपबन्धों का पालन करूँगा।

मैं अपने कर्मचारियों के सभी कार्य कृत तथा अकृत के लिए उत्तरदायी रहूँगा और उनमें कोई परिवर्तन हुआ तो उसकी सूचना तुरन्त दूँगा।

मण्डी समिति के कार्यालय में भरा जायेगा

सत्यापित किया जाता है कि रसीद संख्या— दिनांक— द्वारा लाइसेन्स शुल्क प्राप्त हो गया है और प्रार्थना पत्र पृष्ठ— पर, कम संख्या— पर दर्ज कर लिया गया है।

मण्डी समिति का लेखाकार मण्डी समिति का सचिव

दिनांक दिनांक

मण्डी समिति की बैठक दिनांक— के प्रस्ताव संख्या— के अन्तर्गत लाइसेन्स जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सचिव

प्रपत्र संख्या 20(घ)
लाइसेन्स

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 9 के अधीन—

लाइसेन्स संख्या— पुस्तिका संख्या—

यह लाइसेन्स सर्वश्री— को (नाम और पता) पृष्ठ के दूसरी ओर नियत शर्तों के अधीन रहते हुए— मण्डी क्षेत्र/मण्डी स्थल में कार्य करने के लिये जारी किया जाता है।

1-फर्म के प्रबन्ध स्वामी अथवा प्रबन्धक का नाम तथा पिता का नाम

2-दिनांक जब से लाइसेन्स प्रभावी होगा

3-दिनांक जब लाइसेन्स समाप्त होगा

4-कारोबार का व्यौरा जिसके लिये लाइसेन्स जारी किया गया।

(1)

(2)

5-कारोबार का स्थान तथा क्षेत्र

6-कर्मचारियों का नाम तथा उनके पिता का नाम

7-भंडारों तथा अन्य भू-गृहादियों का विवरण

स्थान—

दिनांक—

समिति की मुहर

सचिव

प्रार्थना की जाती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) (2) के अधीन एक लाइसेन्स कृषि वर्ष 20 20 के लिए श्री/मेसर्स— के पक्ष में जारी/ नवीनीकृत कर दिया जाये।

स्थान :

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

मण्डी समिति के कार्यालय में भरा जायेगा

सत्यापित किया जाता है कि ट्रान्जैक्शन संख्या— दिनांक— द्वारा लाइसेन्स शुल्क प्राप्त हो गया है और प्रार्थना संख्या— दर्ज कर लिया गया है।

मण्डी समिति का लेखाकार

मण्डी समिति का सचिव

दिनांक—201—

दिनांक—201—

स्वीकृत

मण्डी समिति की बैठक/दिनांक— के प्रस्ताव संख्या— के अन्तर्गत लाइसेन्स जारी करने की स्वीकृत प्रदान की गयी है।

ह0 संभापति

सील

ह0 सचिव

दिनांक

कृषि उत्पादन मण्डी समिति,

प्रपत्र संख्या-20 (घ)

नियम 70 (2) उपविधि 50 (2)

(उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 9 के अधीन)

लाइसेन्स नंबर : —

अवधि: —

लाइसेन्स इकाई का नाम : —

GSTIN : —

प्रयोजन : —

प्रार्थी का नाम : —

ई-मेल—

मोबाइल नं0 : —

पता : —

जनपद : —

कारोबार स्थल : —

राज्य : उत्तर प्रदेश

फर्म के स्वामी/प्रबंधक का विवरण

नाम	हैसियत

शर्तें

(1) लाइसेन्सधारी, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 और तदधीन बनायी गयी नियमावली और लाइसेन्स जारी करने वाली मण्डी समिति की उपविधियों के उपलब्धों का पालन करेगा।

(2) लाइसेन्सधारी, अधिनियम, नियमावली तथा मण्डी समिति की उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों के अपवंचन अथवा उल्लंघन की अनुज्ञा न देना और कोई भी अपवंचन या उल्लंघन जो उसकी जानकारी में आये उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।

3- लाइसेन्सधारी, अपने कारोबार का संचालन न्याय संगत व्यवहार के सिद्धान्तों के अनुसार ईमानदारी और उचित रूप से करेगा।

4-लाइसेन्सधारी, निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखे रहेगा और ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर मण्डी समिति द्वारा निर्दिष्ट की जाय।

5-लाइसेन्सधारी समस्त सौदों को जैसे ही वे हो जायें, अभिलेखों में दर्ज करेगा तथा स्टॉक की स्थिति के अनुसार अभिलेखों की अद्यावधि रखेगा।

6-लाइसेन्सधारी लाइसेन्स के अधीन किसी कारोबार के सौदों के लिये जिसमें कृषि उत्पादन के संग्रह अथवा प्रक्रिया भी सम्मिलित है, लाइसेन्स के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भू-गृहादि के अतिरिक्त जब कभी कोई भू-गृहादि बढ़ायेगा अथवा उसमें परिवर्तन करेगा तो उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।

7- लाइसेन्सधारी, मण्डी समिति को पूर्व लिखित सूचना दिये बिना किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम लाइसेन्स के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र में न हो, अपने नियमित प्रदत्त रोजगार में नहीं लेगा।

8-लाइसेन्सधारी, सचिव तथा किसी भी अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी को, जो मण्डी समिति लाइसेन्सधारी के लेखों और स्टॉक की जाँच करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, समस्त उचित सुविधायें देने की व्यवस्था करेगा।

9- लाइसेन्सधारी, मांगने पर अपना लाइसेन्स, सभापति, सचिव अथवा मण्डी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।

10- लाइसेन्सधारी, ऐसी कार्यवाहियाँ अथवा व्यवहारों में निरत न होगा जो निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय तथा क्रय के विनियमों के लिये हानिकर हों।

11-लाइसेन्सधारी, किसी लाइसेन्स प्राप्त दलाल,

भंडारों तथा अन्य संग्रह भू-गृहादि के ब्यौरे, विवरण, क्षमता तथा स्थिति का विवरण

विवरण	क्षमता	स्थिति

लाइसेन्स की शर्तें संलग्न हैं।



Digital Signature
Issued By
Mandi Sachiv

शर्तें

1. लाइसेन्स धारी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 और तदधीन बनायी गई नियमावली और लाइसेन्स जारी करने वाली मण्डी समिति की उपविधियों के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. लाइसेन्स धारी अधिनियम नियमावली तथा मण्डी समिति की उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों के अपवंचन अथवा उल्लंघन की अनुज्ञा न देना और को भी अपवंचन या उल्लंघन जो उसकी जानकारी में आये उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
3. लाइसेन्स धारी अपने कारोबार का संचालन न्यायगत व्यवहार के सिद्धान्तों के आधार पर ईमानदारी और उचित रूप से करेगा।
4. लाइसेन्स धारी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखे रखेगा और ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर मण्डी समिति द्वारा निर्दिष्ट की जाय।
5. लाइसेन्स धारी समस्त सौदों को जैसे ही वह हो जायें अभिलेखों में दर्ज करेगा तथा स्टॉक की स्थिति के अनुसार अभिलेखों को अद्यावधि रखेगा।
6. लाइसेन्स धारी लाइसेन्स के अधीन किसी कारोबार के सौदों के लिए जिसमें कृषि उत्पादन के संग्रह अथवा प्रक्रिया भी सम्मिलित है। लाइसेन्स के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भू-गृहादि के अतिरिक्त जब कभी कोई भू-गृहादि बढ़ायेगा अथवा उसमें परिवर्तन करेगा तो उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
7. लाइसेन्स धारी मण्डी समिति को पूर्व लिखित सूचना दिये बिना किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम लाइसेन्स के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में न हो अपने नियमित प्रदत्त रोजगार में नहीं लेगा।
8. लाइसेन्स धारी सचिव तथा किसी भी अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी का जो मण्डी समिति द्वारा लाइसेन्स धारी के लेखों और स्टॉक की जाँच करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, समस्त उचित सुविधायें देने की व्यवस्था करेगा।

तोलक, मापक या पल्लेदार को अपने नियमित प्रदत्त कर्मचारी के रूप में न तो रखेगा और न बने रहने देगा।

12-लाइसेंसधारी, अपनी दुकान पर विक्रय अथवा संग्रह के लिये लाये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उसके संरक्षण के लिये उत्तरदायी होगा।

13-लाइसेंसधारी, प्रतियोगिता को हटाने के लिये अन्य क्रेताओं के साथ मिलकर कोई समुच्च (pool) अथवा संयोजन नहीं बनायेगा तथा विक्रेता को उसके उत्पादन के उचित मूल्य से वंचित करने के लिये ऐसा करने का न कोई प्रयास करेगा और न उसके लिये उकसायेगा।

14-लाइसेंसधारी, यदि वह व्यापारी है मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के किये गये नीलामों में उपस्थित होने से न तो स्वयं जानबूझकर अलग रहेगा और न अपने प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को अलग रहने देगा।

15- लाइसेंसधारी अपने कारोबार के भू-गृहादि के किसी प्रमुख स्थान पर अपना लाइसेंस प्रदर्शित करेगा।

16- लाइसेंसधारी, मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री तथा क्रय के सम्बन्ध में न तो स्वयं बहिष्कार करेगा और न किसी अन्य लाइसेंसधारी के बहिष्कार को प्रोत्साहित करेगा।

17-लाइसेंसधारी, अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों के अधीन मण्डी समिति के सभापति या सचिव द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों तथा निर्देशों का पालन करेगा।

18-लाइसेंसधारी, जब मण्डी समिति अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय तो, अपने कारोबार के सम्बद्ध विषयों पर ठीक-ठीक सूचना देगा।

19-लाइसेंसधारी, यदि उसके पास मण्डी स्थल का लाइसेंस है, निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को केवल मण्डी स्थल में ही क्रय करेगा और मण्डी स्थल के बाहर मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के बिक्री, क्रय, संग्रह, तोलन या प्रक्रिया हेतु किसी स्थान की व्यवस्था करने के लिये प्रथम लाइसेंस लेना आवश्यक होगा।

20- लाइसेंसधारी, यदि वह फुटकर व्यापारी है, किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को किसी एक समय में दस क्विन्टल से अधिक न तो क्रय करेगा, न रखेगा और न संग्रह करेगा।

21- लाइसेंसधारी, यदि वह ग्राम व्यापारी है, निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को मण्डी क्षेत्र में कहीं भी सिवाय मण्डी स्थल के विक्रय नहीं करेगा।

9. लाइसेंस धारी मांगने पर अपना लाइसेंस सभापति सचिव अथवा मण्डी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।

10. लाइसेंस धारी ऐसी कार्यवाहियों अथवा व्यवहारों में निरत न होगा जो निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय तथा क्रय विनियम के लिए हानिकर हो।

11. लाइसेंस धारी किसी लाइसेंस प्राप्त दलाल, तोलक, मापक या पल्लेदार को अपने नियमित प्रदत्त कर्मचारी के रूप में न तो रखेगा न बने रहने देगा।

12. लाइसेंस धारी अपनी दुकान पर विक्रय अथवा संग्रह के लिए लाये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उसके संरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

13. लाइसेंस धारी प्रतियोगिता को हटाने के लिए क्रेताओं के साथ मिलकर कोई समुच्चय (pool) अथवा संयोजन नहीं बनायेगा तथा विक्रेता को उसके उत्पादन के उचित मूल्य से वंचित करने के लिए ऐसा करने का न कोई प्रयास करेगा और न उसके लिए उकसायेगा।

14. लाइसेंस धारी यदि वह व्यापारी है मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के लिए किये गये नीलामों में उपस्थित होने से न तो स्वयं जानबूझकर अलग रहेगा और न अपने प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को अलग रहने देगा।

15. लाइसेंस धारी अपने कारोबार के भू-गृहादि के किसी प्रमुख स्थान पर अपना लाइसेंस प्रदर्शित करेगा।

16. लाइसेंस धारी मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री तथा क्रय के सम्बन्ध में न तो स्वयं बहिष्कार करेगा और न किसी अन्य लाइसेंस धारी के बहिष्कार को प्रोत्साहित करेगा।

17. लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली तथा उपविधियों के अधीन मण्डी समिति के सभापति या सचिव द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा निर्देशों का पालन करेगा।

18. लाइसेंस धारी से जब मण्डी समिति अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय तो अपने कारोबार से समयबद्ध विषयों पर ठीक-ठीक सूचना देगा।

19. लाइसेंस धारी यदि उसके पास मण्डी स्थल का लाइसेंस है निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को केवल मण्डी स्थल में ही क्रय करेगा। मण्डी स्थल के बाहर मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विक्रय, क्रय, संग्रह, तोलने या प्रक्रिया हेतु किसी स्थान व्यवस्था करने के लिए पृथक लाइसेंस लेना आवश्यक होगा।

20. लाइसेंसधारी यदि वह फुटकर व्यापारी है किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को किसी एक समय में उपविधि के पैरा धारा 59, 60 के अन्तर्गत से अधिक न तो क्रय करेगा न संग्रह करेगा।

उद्देश्य :-

1. मण्डी विनियमन का उद्देश्य व्यापार में असुविधा उत्पन्न करना नहीं बल्कि उससे उत्पादन कर्ता एवं व्यापारी तथा उपभोक्ता के हित में चलाना है।

2. विनियमित मण्डी में उत्पादन की शुद्धता एवं सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे वह आकर्षक बनकर अधिक मूल्य ही प्राप्त नहीं करती वरन् मण्डी को दूर-दूर तक प्रतिष्ठित भी करती है।

3. मण्डी में विक्रेता से आढ़त, धर्मादा, कर्दा, मण्डी शुल्क फालतू तौल कोई अन्य कटौती लेना या आरोपित करना जुर्म है।


सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति

समस्त मण्डी समितियों उपर्युक्त प्राविधानों को संकल्प कर अंगीकार करते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(धीरज कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समितियों, उ०प्र०।
 2. समस्त उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, उ०प्र०।
 3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 4. सिस्टम एनालिस्ट, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
 5. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
 6. आदेश/गार्ड पत्रावली हेतु।


(धीरज कुमार) 21/12
निदेशक